समाहरणालय, मधेपुरा।
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

मो0 असलम पे0 स्व0 अजीजुर रहमान, ग्राम मधेपुरा वार्ड नं0 10, कॉलेज चौक, मधेपुरा, थाना- मधेपुरा, जिला मधेपुरा ने लिखित रुप में आवेदन बायोडाटा के साथ समर्पित कर सूचित किया है कि इनके नाम से एक नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-09/1985(मधेपुरा थाना) पर धारित शस्त्र सं0-77251 निर्गत है। इन्होंने अपने आवेदन में अंकित किया है कि बीमार रहने के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र का नवीकरण/ निरीक्षण नहीं करवा सका है। इन्होंने शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त कर नवीकरण/ निरीक्षण कराने हेतु आदेश की अपेक्षा की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु एक और मौका देते हुए 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी किसी भी तिथियों में मो0 असलम (अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटाशीट समर्पित नहीं कराया है, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 31/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत शस्त्र एक नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-09/1985(मधेपुरा थाना) पर धारित शस्त्र सं0-77251 को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाव आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा में अपना उम्र 59 वर्ष से अधिक बताया गया है। इनके द्वारा समर्पित डॉ0 बी.एम.डोडा, फिजिशियन, दिल्ली द्वारा दिनांक 23-09-2013 को इनके स्वास्थ्य की जॉंच की है एवं सभी कुछ सामान्य पाया गया है। जबकि जिला स्तर से 04-10-2013, 05-10-2013 के बाद भी एक और मौका देते हुए शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा समर्पित करने हेतु 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। अनुज्ञप्तिधारी के स्वास्थ्य की जॉंच, शस्त्र का भौतिक सत्यापन के लिए निर्धारित तिथियों से पूर्व ही हुआ है। इनके अनुज्ञप्ति की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-09/1985(मधेपुरा थाना) का नवीकरण वर्ष 2012 तक एवं भौतिक सत्यापन वर्ष 2010 तक ही किया हुआ है। इसलिए अनुज्ञप्तिधारी अस्वस्थता का बहाना बनाकर बचना चाहते हैं। पूर्व में भी शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण एक वर्ष तक नहीं कराया गया है एवं निरीक्षण तीन वर्षो से नहीं कराया है। उनका यह कथन पूर्णतया मनगढंत एवं लापरवाही को दर्शाता है, जो शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्तो का उल्लंघन है। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समर्पित सूचना से भी विदित होता है कि ये इंदिरा आवास में गड़बड़ी/ धांधली के कारण अरिरिया थाना कांड सं0-849/2008 एवं धान अधिप्राप्ति मामले में सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड सं0-113/2013 प्राथमिकी दर्ज है। सरकारी राशि के गवन के गंभीर मामले आपके विरूद्ध लंबित हैं।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा-17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत एक नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0- 09/1985 (मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी मो0 असलम पे0 स्व0 अजीजुर रहमान ग्राम वार्ड नं0-10, पुरानी बाजार, कॉलेज चौक, मधेपुरा, थाना- मधेपुरा, जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित एक नाली बन्दुक सं0-77251 मधेपुरा थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि मो0 असलम द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में " रद्द " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 111 /शस्त्र, दिनांक 21-03-2014.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मो0 असलम पे0 स्व0 अजीजुर रहमान, ग्राम वार्ड नं0-10, कॉलेज चौक, मधेपुरा, थाना- मधेपुरा, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

21/03/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।